न्यायालय जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V, ... एच०जे०एस०

(J.O. Code- UP 6546)

दीवानी निगरानी संख्या 35 सन 2025

(CNR No. UPFT-010002080 2025)

1. वासुदेव यादव पुत्र जागेश्वर
2. रामनरेश पुत्र शम्भू

समस्त निवासीगण ग्राम दतौली परगना मुत्तौर तहसील व जिला फतेहपुर।

.....निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण

प्रति

दिनेश पुत्र सदल सिंह निवासी ग्राम दतौली परगना मुत्तौर तहसील व जिला फतेहपुर।

.....विपक्षी/वादी

निर्णय

1. प्रस्तुत दीवानी निगरानी, निगरानीकर्तागण वासुदेव यादव एवं एक अन्य की ओर से मूल वाद संख्या 182 सन 2022 दिनेश सिंह बनाम वासुदेव के प्रकरण में विद्वान अपर सिविल जज (जू०डि०) न्यायालय संख्या–3, फतेहपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 23.01.2025 से विक्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने वादबिन्दु संख्या–3 प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रुप से तथा वादी के पक्ष में सकारात्मक रुप से निर्णीत किया है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी/वादी दिनेश सिंह द्वारा

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) फतेहपुर के समक्ष मूल वाद संख्या 182 सन 2022 दिनेश सिंह बनाम वासुदेव आदि स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण के विरूद्ध योजित किया गया है। अवर न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात मूलवाद में अवर न्यायालय द्वारा वादबिन्दु विरचित किये गये। विद्वान अवर न्यायालय ने दौरान विचारण वाद बिन्दु संख्या–3, ''क्या वाद आदेश 7 नियम 3 जा०दी० के प्रावधानों से बाधित है?'' पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुनने के उपरान्त उसका निस्तारण दिनांक 23.01.2026 को प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रुप से तथा वादी के पक्ष में सकारात्मक रुप से निर्णीत किया है।

3. निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में यह आधार लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि विरुद्ध है। विद्वान अवर न्यायालय ने वादी द्वारा वादपत्र में नक्शा नजरी को मानते हुए वाद बिन्दु संख्या–3 को वादी के पक्ष में सकारात्मक पारित करके त्रुटि की है, उनके द्वारा पत्रावली का सम्यक अध्य्यन किये बिना सरसरी तौर पर उक्त आदेश पारित किया गया है। वादी द्वारा मूल वाद में अभी तक कमीशन का निष्पादन नहीं कराया गया और न ही वादी द्वारा वादपत्र में नक्शा नजरी में कोई नाप ही दर्शायी गयी है व स्केली मैप भी दाखिल किया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन नहीं किया गया तथा पूर्णतया एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, जो असत्य अभिकथनों पर आधारित है। विवादित आराजी की न चौहद्दी सही है, न स्केल पर है नक्शा नजरी बनाया गया है, जिससे विवादित आराजी की शिनाख्त नहीं हो पाती है। प्रश्नगत आदेश के स्थिर रहने से मूल वाद के निस्तारण में पेचीदगी उत्पन्न होगी, जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतएव रिवीजन स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.01.2025 को निरस्त करने की याचना की गयी है।

5. मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना तथा आलोच्यादेश एवं अवर न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली सहित सम्पूर्ण पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी में विद्वान अवर न्यायालय के जिस प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.01.2025 को चुनौती दी गयी है। उस आदेश के माध्यम से विद्वान अवर न्यायालय ने वाद बिन्दु संख्या–3, ''क्या वाद आदेश 7 नियम 3 जा०दी० के प्रावधानों से बाधित है?'' को

प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रुप से तथा वादी के पक्ष में सकारात्मक रुप से निर्णीत किया है। मूलवाद की पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दिनेश सिंह विपक्षी/वादी ने मूल वाद संख्या 182 सन 2022 निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण के विरुद्ध वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का योजित किया है कि निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण, विपक्षी/वादी के द्वारा वादपत्र के अन्त में उल्लिखित रक्तवर्ण (लाल रंग) से दर्शाये गये विव विवादित स्थल पर जबरन कब्जा न करे, नींव न खोदे, न ही नांदें व खूॅटा उखाडे न पेड उखाडे और न ही उस पर कोई निर्माण कार्य करे। निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण की ओर से वादपत्र के कथनों से इंकार किया गया है। वादपत्र के साथ, जो संलग्न नक्शा नजरी दर्शाया गया है, उसमें विवादित स्थल को लालरंग से दर्शित किया गयया है, जिसके पूरब में मकान वादी व गली खरंजा, पश्चिम में सी०सी० रोड, उत्तर में रास्ता तथा दक्षिण में भूमि ग्राम समाज होना दर्शाया गया है।

7. आदेश 7 नियम 3 दीवानी प्रक्रिया संहिता इस प्रकार है:-

> ''**3. जहॉ वाद की विषय वस्तु स्थावर सम्पत्ति है**-- जहॉ वाद की विषय-वस्तु स्थावर सम्पत्ति है, वहॉ वादपत्र में सम्पत्ति का ऐसा वर्णन होगा जो उसकी पहचान कराने के लिए पर्याप्त है और इस दशा में जिसमें ऐसी सम्पत्ति की पहचान भू-व्यवस्थापन या सर्वेक्षण संम्बन्धी अभिलेख में की सीमाओं या संख्यांकों द्वारा की जा सकती है, वादपत्र में ऐसी सीमाएं या संख्यांक विनिर्दिष्ट होगें।''

इस प्रकार आदेश 7 नियम 3 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि यदि किसी वाद में विषय वस्तु स्थावर सम्पत्ति है तो वादपत्र में ऐसी सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार दिया जायेगा, जिससे कि सम्पत्ति को पहचाना जा सके। वादपत्र में ऐसी सीमाएं या संख्यांक विनिर्दिष्ट होगें। वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी से यह दर्शित होता है कि विपक्षी/वादी द्वारा सम्पत्ति की शिनाख्त किये जाने हेतु चतुदर्शिक सीमाएं अंकित है, जो कि सम्पत्ति की पहचान के लिए पर्याप्त हैं। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वादबिन्दु संख्या-3 प्रतिवादी/निगरानीकर्तागण के विरुद्ध निस्तारित कर कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश विधि अनुसार होने के कारण पुष्ट किये जाने योग्य है। तदनुसार निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत सिविल निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्तागण वासुदेव यादव एवं अन्य की ओर से प्रस्तुत सिविल निगरानी निरस्त की जाती है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.01.2025 पुष्ट किया जाता है।

सिविल निगरानी पत्रावली मय अवर न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली नियमानुसार अविलम्ब वापस प्रेषित की जाये। पक्षकार अवर न्यायालय के समक्ष मूल वाद में नियत दिनांक 05.05.2026 को अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

दिनांक: 15.04.2026

(सुधीर कुमार–V)
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: 15.04.2026

(सुधीर कुमार–V)
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.04.15 16:55:15 +05'30'